# समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

## अधिहरण वाद संख्या–38 / 2020–21

झारखण्ड राज्य सरकार

–बनाम्–

सुरेश रविदास एवं अन्य

–::आदेश::–

16.07.2022

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संधारित कागजातों को अवलोकन किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक–170 / आ0 दिनांक–24.03.2020 द्वारा नावाडीह थाना कांड सं0–35 / 2020, दिनांक–17.03.2020 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किए गए 10.25 क्विंटल चावल अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

वाद का सार यह है कि पणन पदाधिकारी, नावाडीह के द्वारा दिनांक–18.03.2020 को प्रतिवेदित किया गया है कि नावाडीह प्रखण्ड के अन्तगर्त चिरूडीह पंचायत स्थित पुरूषोतम साव के गोदाम से 25 (पच्चीस) प्लास्टिक पैकेट में रखे कालाबाजारी हेतु 10.25 क्विंटल अनुदानित चावल, माल वाहक यान टाटा सुपर JH09Y 6557 एवं खाली 40 जुट बोरा को जप्त करते हुए चिरूडीह पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री सुरेश रविदास, अनुज्ञप्ति सं0–01 / 95 एवं गोदाम मालिक पुरूषोतम साव पिता–रामलाल साव के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा–7 के अन्तगर्त नावाडीह थाना कांड सं0–35 / 2020 दिनांक–17.03.2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई है। तत्पश्चात जप्त 10.25 क्विंटल चावल को चिरूडीह पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री नन्द किशोर वर्मा, अनुज्ञप्ति सं0–04 / 2001 को जिम्मेनामा पर दिया गया। चूँकि चावल खाद्य पदार्थ है एवं लम्बे समय से रखे रहने पर खराब होने की संभावना है। फलस्वरूप राजसात् की कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त के क्रम राजसात् की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षी पिछले एक वर्ष की अधिक अवधि से सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित है।

राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो द्वारा दलील दी गई कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री सुरेश रविदास

(विपक्षी) अनुज्ञप्ति सं0–01/95 के द्वारा प्रश्नगत सरकारी चावल को लाभुकों के बीच वितरण हेतु राज्य खाद्य निगम के नावाडीह स्थित गोदाम से उठाव किया गया था। उक्त सरकारी चावल को श्री रविदास के द्वारा कालाबाजारी करते हुए अधिक दाम पर उसी ग्राम के ही व्यक्ति पुरूषोतम साव को बेच दिया गया और प्रशासन को गुमराह कर अपनी गलती छिपाने के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज की। सरकारी चावल का कालाबाजारी करना आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उन्होंने जब्त चावल को राज्य सरकार के हित में राजसात् करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित है किन्तु उनके द्वारा पूर्व में लिखित जबाब दाखिल किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि वह अपनी जन वितरण प्रणाली की दुकान, अनुज्ञप्ति सं0–01/95 के अन्तर्गत ग्राम चिरूडीह में वर्ष 1995 से ईमानदारी पूर्वक चलाते आ रहे है। दिनांक–16/17.03.2020 के रात्री में उनके गोदाम से जन वितरण का 63 बोरा चावल अज्ञात चोरो के द्वारा चोरी कर लिया गया। जिसकी लिखित सूचना उनके द्वारा दिनांक 17.03.2020 को नावाडीह थाना में दिए जाने पर थाना कांड सं0–35/20 धारा–379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया। विपक्षी के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस के षडयंत्र, लापरवाही वो अनियमितता का शिकार उन्हें होना पड़ा। उनके द्वारा न तो कोई गलती की गई है और न ही कालाबाजारी। वर्ष 1995 से लेकर आज तक किसी भी लाभुक के द्वारा उनके विरूद्ध कोई शिकायत नहीं किया गया है। अतः उन्होंने दाखिल कारण–पृक्षा को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता की दलील, विपक्षी के द्वारा दाखिल कारण–पृछा एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत सरकारी चावल को कालाबाजारी करते हुए अधिक दाम पर उसी ग्राम के ही व्यक्ति पुरूषोतम साव को बेच दिया गया और प्रशासन को गुमराह कर अपनी गलती छिपाने के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई, क्योंकि पुरूषोतम साव पिता राम लाल साव के गोदाम में सरकारी चावल जो कि जूट के बोरा से निकाल कर प्लास्टिक के बोरा में रखा हुआ था,

का मिलने में विपक्षी की भूमिका संदेहात्मक प्रतीत होता है और इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रश्नगत चावल को कालाबाजारी करने की मंशा से ही रखा गया है। इसके अतिरिक्त विपक्षी श्री सुरेश रविदास का पिछले एक वर्ष से अधिक अवधि से सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहना उनके इस वाद में रूची के अभाव को दर्शाता है। जिससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने बचाव में अब कुछ भी नहीं कहना है। जन वितरण प्रणाली दुकान का चावल (जो कि लाभुकों के वितरण के लिए उठाव किया गया था) का कालाबाजारी करना आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 का स्पष्ट उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6(ए) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नावाडीह थाना कांड सं0 35/2020 के अन्तर्गत 10.25 क्विंटल चावल को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करे।

लेखापित एवं संशोधित।

16.7.2022

समाहर्त्ता–सह जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

16.7.2022

समाहर्त्ता–सह जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.18 13:18:49 +05:30
Location: 192.168.1.101